न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर
राजस्व वाद सख्या–50/2006

श्री रामचन्द्र पुत्र लालू जाति खटीक आयु 65 साल निवासी जालिया दोयम तहसील मसूदा जिला अजमेर

......वादी

बानम

1. पन्नालाल पुत्र नाथू
2. धन्नालाल पुत्र नाथू
3. श्रीमति दुर्गा बेवा रतन
4. सत्य नारायण, पुत्र रतन
5. गोरधन पुत्र रतन
6. श्रीमति सोहनी बेवा नाथू
7. नारायण पुत्र रामेश्वर
8. प्रकाश पुत्र रामेश्वर
9. उमा बेवा रामेश्वर
10. ममता बालिग पुत्री रामेश्वर
11. कुमारी लाली नाबालिग पुत्री रामेश्वर बजरिये कुदरती वलिया माता श्रीमति उमा बेवा रामेश्वर समस्त जाति धोबी निवासियान जालिया दोयम तहसील मसूदा
12. सुवा पुत्र लालू
13. रामेश्वर पुत्र लालू
14. श्रीमति लादी बेवा सोहन
15. नाथू पुत्र सोहन
16. भेंरू पुत्र सोहन
17. श्रीमति सीता पुत्री स्वर्गीय सोहन पुत्र लालू
18. श्रीमति तुलसी पुत्री स्वर्गीय सोहन पुत्र लालू
19. श्रीमति मंजू पुत्री स्वर्गीय सोहन पुत्र लालू
    प्रतिवादी नम्बर 14 से 19 बहैसियत स्वयं व बहैसियत स्वयं व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद सोहन पुत्र लालू जाति खटीक निवासी जालिया दोयम तहसील मसूदा जिला अजमेर।
20. राजस्थान सरकार जरिये भूधारक तहसीलदार मसूदा जिला अजमेर।

.........प्रतिवादीगण

वाद पत्र वास्ते घोषणाधिकार व विभाजन अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व रिकार्ड दुरस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 8.02.2017

प्रकरण में ग्राम जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 2007 रक्बा 13–05–00 बीघा किस्म बा0 3 पर पक्षकारान के मध्य घोषणा अधिकार खातेदारी एवं विभाजन की प्रारंभिक डिक्री दिनांक 26.08.2011 को पारित की गई। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार बिजयनगर द्वारा दिनांक 12.05.2014 को पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित आराजी को मौके पर

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

यथा डिक्री विभाजन कर बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तावित कर दिये है जिसकी प्रति अभिलेख पर उपलब्ध है। जिस बाबत् पक्षकारान ने दिनांक 12.12.2015 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इससे सहमति जताते हूए पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के कथन किये है यह भी अभिलेख पर मौजूद है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण उभयपक्षान की सहमती पर अंतिम डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है अतः वाद पत्र पर अंतिम डिक्री पारित कर आदेश पारित किये जाते है कि–

आदेश

ग्राम जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 2007 मि0 रक्बा 13–05–00 बीघा का विभाजन कर ख0 न0 2007/1 रक्बा 6–12–05 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 11 की खातेदारी में तथा शेष 2007 मि0 रक्बा 6–12–05 वादी रामचन्द्र के खाते ख0 न0 2007/2/1 रक्बा 1–13–01 तथा ख0 न0 2007/2/2 रक्बा 1–13–01 प्रतिवादी संख्या 12 सुवा के खाते व ख0 न0 2007/2/3 रक्बा 1–13–01 प्रतिवादी संख्या 13 रामेश्वर के खाते तथा ख0 न0 2007/2/4 रक्बा 1–13–02 प्रतिवादी संख्या 14 से 19 के खाते रखी जाती है यथानुसार तहसीलदार बिजयनगर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें तथा मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन माप कर पक्षकारान को भूमि का कब्जा सुपुर्द करें। वाद खर्च पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 8.02.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.11.26 13:56:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: